

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (î)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015 वैशाख 3,1937

No. 253]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 314(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 21 की उपधारा (4) और धारा 21आ की धारा (2) और (4) के साथ पठित धारा 38अ की उपधारा (2) के खंड (ग) और (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात्:--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015 है।
 - 2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी सचिव (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 17 में, उपनियम (1) में "1000 रुपये" अक्षरों और संख्याओं के स्थान पर "5000 रुपये" अक्षर और संख्याएं रखे जाएंगे।

[फा.सं. 3/5/2015/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 111(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

- G.S.R.314(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 38A, read with sub-section (4) of section 21 and sub-sections (2) and (4) of section 21B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in rule 17, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs.1000", the letters and figures "Rs.5000" shall be substituted.

[F. No. 3/5/2015-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 111(E), dated the 27th February, 2007.